अध्याय–तीन

विभाग के अन्तर्गत आने वाले निगम, उपक्रम व संस्थाओं का विवरण

1.5 मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम

1.5.1 निगम का गठन

राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर रू0 20.00 करोड़ की अधिकृत पूंजी से मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसरण में दिनांक 1 अप्रेल 2001 को मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लि. का विभाजन, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि. एवं म.प्र. राज्य वन विकास निगम लि. के मध्य किया जा चुका है। 31 अक्टूबर 2006 से निगम की अधिकृत अंशपूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंशपूंजी रू0 39,31,75,600 है, जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान 1,38,60,000 एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रू0 37,93,15,600 है।

1.5.2 संचालक मंडल

शासन द्वारा निगम के संचालन हेतु संचालक मंडल का गठन किया गया है जिसमें वर्तमान में माननीय अध्यक्ष के साथ–साथ अन्य 5 संचालक शासन द्वारा मनोनीत किये गये हैं।

1.5.3 उद्देश्य एवं गतिविधियाँ

निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहूमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। सागौन एवं बांस का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है। निगम विभिन्न योजनाओं पर के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वन भूमि पर रोपण करता है।

1.5.4 क्षेत्रीय प्रशासनिक संरचना

क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक वन विभाग के क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक के समकक्ष कार्य करते हैं जिनके अधीन संभागीय प्रबंधक पदस्थ किये जाते हैं। क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक भोपाल के अधीन 3 संभागीय प्रबंधक, क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक जबलपुर के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक तथा क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, सिवनी के अधीन 4 संभागीय प्रबंधक कार्यरत हैं। संभागीय प्रबंधक वन विभाग के वनमंडलाधिकारी के समकक्ष क्षेत्र में कार्य करते हैं। राज्य शासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी कर वन विकास निगम के क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक को क्षेत्रीय मुख्य वनसंरक्षक के समकक्ष तथा संभागीय प्रबंधक को क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी के समकक्ष वैधानिक अधिकार प्रदाय किये गये हैं। इन इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.47 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.47
क्षेत्रीय इकाईयाँ

क्षेत्रीय इकाईयाँ	संख्या	इकाईयाँ
क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक	03	भोपाल, जबलपुर, सिवनी
संभागीय प्रबंधक	11	खंडवा, विदिशा–रायसेन (भोपाल), सीहोर, रीवा–सीधी (सीधी), उमरिया, कुंडम (जबलपुर), मोहगांव (मंडला), लामटा (बालाघाट), बरघाट (सिवनी), छिंदवाड़ा, रामपुर–भतौड़ी (बैतूल)

दिनांक 01.11.2016 की स्थिति में निगम के कुल स्वीकृत अमला 1282 के विरूद्ध कार्यरत संख्या 548 है।

1.5.5 लेखा

वर्ष 2014–15 के निगम के लेखे अद्यतन कर दिनांक 14.03.2016 को विधानसभा पटल पर रखे जा चुके हैं। वर्ष 2015–16 के लेखों का अंतिमिकरण कार्य प्रगति पर है। स्थापना वर्ष से ही निगम निरंतर लाभ में चल रहा है। वर्ष 2014–15 तक संचित लाभ रू0 231.96 करोड़ है। निगम द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी पर वर्ष 2014–15 तक के लिये राज्य शासन को रू0 5766.41 लाख तथा भारत सरकार को रू0 235.82 लाख लाभांश (डिविडेंड) का भुगतान किया जा चुका है। निगम द्वारा म.प्र. शासन वन विभाग को प्रारंभ से वर्ष 2015–16 तक का लीजरेंट कुल राशि रूपये 677.25 करोड़ का भुगतान/समायोजन किया गया है।

1.5.6 वृक्षारोपण

निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से विगत 5 वर्षों में किये गये वृक्षारोपण का विवरण तालिका क्रमांक 1.48 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.48
वर्षवार सागौन वृक्षारोपण

(क्षेत्रफल हे. में)

योजना	2012	2013	2014	2015	2016	योग
सागौन (वर्षा आधारित)	7972	7812	5417	7091	5406	33698

वन विकास निगम द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त बजट से किये गये वृक्षारोपण की स्थिति तालिका क्रमांक 1.49 में दर्शित है। इसमें डिपॉजिट वर्क, 12वें एवं 13वें वित्त आयोग तथा कैम्पा आदि भी शामिल हैं।

तालिका क्रमांक 1.49
विविध रोपण

(क्षेत्रफल हे. में)

योजना	2012	2013	2014	2015	2016	योग
उच्च उत्पादकता सागौन रोपण योजना	–	–	–	4894	4301	9195
13 वें वित्त आयोग से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	–	1043	1658	–	–	2701
एन.टी.पी.सी. योजना अंतर्गत रोपण	–	–	–	–	372	372
बांस रोपण (निगम के स्त्रोत से)	15	–	–	10	92	117
मिश्रित रोपण (निगम के स्त्रोत से)	121	–	7	8	–	136
कैम्पा से अनुदान प्राप्त सागौन रोपण योजना	4450	3040	2610	–	–	10100
प्रायोगिक नीलगिरी रोपण(निगम के स्त्रोत से)	–	–	–	101	–	101
बांस अधोरोपण (निगम के स्त्रोत से)	–	–	–	4356	–	4356
योग	4586	4083	4275	9369	4765	27078
डिपॉजिट वर्क (पौधों की संख्या लाख में)	6.65	6.19	7.02	4.45	6.21	30.52

1.5.7 वनोपज का उत्पादन

मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम के अधीन क्षेत्र में भी काष्ठ, बांस एवं जलाऊ का विदोहन किया जाता है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.50 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.50

काष्ठ, बॉस एवं जलाऊ का उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व

विवरण	वर्ष				
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
ईमारती लकड़ी (घन मीटर)	113656	125745	112867	91762	103650.972
जलाऊ चट्टे (नग)	178201	151911	124761	94082	98681
बॉस (नो.टन)	5304	5122	6994	4874	3428.803
प्राप्त राजस्व (करोड़ रूपये)	181.49	213.24	211.77	195.48	238.94

1.5.8 श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं

श्रमिक कल्याणकारी या महिलाओं के लिये पृथक से कोई योजना निगम द्वारा नहीं चलाई जा रही है। परंतु निगम द्वारा संचालित समस्त वानिकी कार्य बिना भेदभाव के महिला एवं पुरूष श्रमिकों द्वारा ही संपन्न किये जाते हैं। निगम का अधिकांश कार्यक्षेत्र आदिवासी बहुल है। निगम की स्थाई रोपणियों में वर्ष भर लगातार कार्य उपलब्ध रहता है, जिसमें अधिकांश महिलाएं कार्यरत हैं। निगम के अन्य वानिकी कार्यों में भी महिलाओं को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कार्यस्थल पर श्रमिकों का वर्ष में 6 बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कम्पनी अधिनियम 1956 (संशोधित कंपनी अधिनियम 2013) के प्रावधानों के अनुसार वनक्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये निगम के शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत मछली पालन, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है। सामुदायिक भवन निर्माण, नलकूप खनन, तालाब निर्माण/गहरीकरण कार्यों पर वर्ष 2014–15 में राशि रूपये 138.14 लाख, वर्ष 2015–16 में राशि रूपये 183.56 लाख व्यय की गई है तथा वर्ष 2016–17 में राशि रूपये 142.21 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये है।

1.5.9 संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत समितियों को लाभांश वितरण

वन विभाग द्वारा हस्तांतरित निगम के क्षेत्रों में संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष 2006–2007 में कुल 80 समितियों को रू. 213.12 लाख, वर्ष 2007–2008 में कुल 99 समितियों को रू. 382.88 लाख, वर्ष 2008–09 में कुल 120 समितियों को रू. 515.77 लाख, वर्ष 2009–10 हेतु कुल 86 समितियों को रू. 460.46 लाख वर्ष 2010–11 में 101 समितियों को रू. 449.86 लाख, वर्ष 2011–12 में 98 समितियों को रू. 504.06 लाख एवं वर्ष 2012–13 में 72 समितियों को रूपये 537.07 लाख लाभांश की राशि वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2013–14 हेतु 87 समितियों के लिये राशि रू. 371.79 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 के लाभांश की राशि रू. 541.34 लाख प्राप्त वितरण हेतु विमुक्त की जा चुकी है। वितरण का कार्य प्रगति पर है।

1.6 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ

वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से वर्ष 1984 में मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन हुआ था। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1988 में लघु वनोपज के संग्रहण, भण्डारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने एवं वास्तविक संग्रहण कर्ताओं की सहकारी संस्थाओं के गठन का निर्णय लिया गया। इस निर्णय को कार्य रूप देने के लिए एक त्रि–स्तरीय संरचना का निर्माण किया गया। वर्तमान में इस संरचना के प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ कार्यरत् है। वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में मात्र तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद हैं। प्रदेश के वनवासियों को अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे लाख, चिरोंजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधीय वनोपजों का निःशुल्क संग्रहण करने की छूट है। लघुवनोपज संघ द्वारा संचालित गतिविधियों की एक विशेषता यह है कि समस्त राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत लघुवनोपज के संग्रहण में महिलायें अग्रणी भूमिका निभाती हैं, और इस प्रकार अपने परिवार के लिये अतिरिक्त आय निर्मित करने में सहायक होती हैं।

1.6.1 राष्ट्रीयकृत वनोपज

तेंदूपत्ता

विगत तीन वर्षों में संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.51 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.51
तेंन्दूपत्ता संग्रहण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रु. प्रति मा. बोरा.)	कुल गोदामीकृत मात्रा (लाख मानक बोरा में)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा (लाख मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6
2014	950	16.99	161.41	16.99	310.12
2015	950	16.05	152.47	16.05	329.27
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25

* वर्ष 2017 सीजन हेतु तीन चक्रों में online निविदाएं आमंत्रित की गईं हैं । प्रथम चक्र की निविदा में 849 लाटों का विक्रय किया गया है । शेष लाटों के विक्रय हेतु दो चक्रों की निविदा की कार्यवाही जारी है ।

सालबीज

सालबीज संग्रहण पर म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में 2007 से 2011 (पाँच वर्ष) हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था । वर्ष 2008 से प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर लगा प्रतिबंध हटाते हुये सालबीज संग्रहण कराने हेतु शासन द्वारा निर्देश दिये गये । सालबीज संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.52 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.52

साल बीज संग्रण एवं निर्वर्तन

संग्रहण वर्ष	संग्रहित मात्रा (क्वि.)	निर्वर्तित मात्रा (क्वि.)	प्राप्त विक्रय मूल्य (लाख में)	औसत विक्रय दर (रू.प्रति क्वि.)
2014	3164.65	3047.55	35.81	1175.00
2015	11161.72	11161.72	37.71	338.00
2016	3966.10	3966.10	29.75	750.00

म.प्र. शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ–31–1/2011/10–3 दिनांक 25.10.2016 द्वारा सालबीज को अराष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित किया गया है ।

1.6.2 अराष्ट्रीयकृत वनोपज

विगत तीन वर्षों में मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 10.02.2012 के तारतम्य में निम्न अराष्ट्रीयकृत वनोपज को न्यनतम् सर्मथन मूल्य पर क्रय किया जा रहा है । संग्रहण एवं निर्वर्तन का विवरण तालिका क्रमांक 1.53 में दर्शित हैः

तालिका क्रमांक 1.53

अराष्ट्रीयकृत वनोपज का संग्रहण एवं निर्वर्तन

क्र.	वनोपज	संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)	विकित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय मूल्य (लाख में)
1	अचार गुठली	2013	3.20	8500	3.20	0.02
		2014	-	-		-
		2015	-	-		-
2	पलास लाख	2013	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-
		2015	29.87	10000	-	
	कुसुम लाख	2013	-	-	-	-
		2014	-	-	-	-
		2015	0.049	12000	-	
3	हर्रा	2013	1115.72	1000	610.17	0.68
		2014	1405.03	1100	1405.03	1.61

क्र.	वनोपज	संग्रहण वर्ष	संग्रहण मात्रा (क्विंटल में)	निर्धारित समर्थन मूल्य (प्रति क्विंटल)	विकित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय मूल्य (लाख में)
		2015	70.25	1100	-	
	कचरिया	2013 2014 2015	- - 301.69	- - 2000	- -	- -
	बाल हर्रा	2013 2014 2015	0.13 - -	3500 - -		
4	महुआ फूल					
	प्रचलित प्रथा अनुसार	2013 2014 2015	932.956 - -	1400	303.706	4.61
	जाल विछाकर	2013 2014 2015	36.84	2000	32.10	0.58
5	महुआ गुल्ली	2013 2014 2015	18.33 - 814.83	900 - 900	813.78	- - 14.29
6	करंज बीज	2013 2014 2015	- - 68.45	- - 3500		- - -
7	नीम बीज	2013 2014 2015	67.15 1303.41 10.00	700 700 700	67.15 1303.41 10.00	0.25 संयंत्र/अनुसंधान को प्रदाय

1.6.3 सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा वर्ष 1991 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से प्रदेश के समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहकों हेतु निःशुल्क सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत किसी संग्राहक की सामान्य मृत्यु की दशा में रू. 5000/–, आंशिक विकलांगता की दशा में रू. 12500/–, पूर्ण विकलांगता की दशा में रू. 25000/– तथा दुर्घटना में मृत्यु की दशा में रू. 26500/– बीमा धन का भुगतान किया जाता है।

उक्त योजनांतर्गत वर्ष 1991 से अब तक लाभांवित संग्राहकों एवं बीमा क्लेम की जानकारी तालिका क्रमांक 1.54 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.54
समूह जीवन बीमा योजनान्तर्गत प्रदाय राशि

वित्तीय वर्ष	संग्राहकों के दावेदारों की संख्या	बीमा क्लेम की प्रदाय राशि (रूपए लाख में)
1991 से 2013–14 तक	255339	9100.94
2014-15	3974	316.13
2015-16	2295	178.94
2016-17	2385	191.65
योग	**263993**	**9787.66**

दुर्घटना में मृत्यु की दशा में संग्राहक के नामित व्यक्ति को रू. दो लाख बीमा धन के भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1.6.4 एकलव्य शिक्षा विकास योजना

लघु वनोपज संघ द्वारा "एकलव्य शिक्षा विकास योजना" नवंबर 2010 में प्रारंभ की गई है। इस योजना का उदेश्य वनक्षेत्रों में निवास करने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे उनके होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। इस उदेश्य की पूर्ति हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश एवं शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं –

(i) योजना का लाभ प्रदेश के तेन्दूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। पात्रता हेतु संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षो में उसके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया गया हो तथा फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षो में तेन्दूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।

(ii) योजना हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जिन्होंने पिछली कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो। उनका चयन प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा। चयनित छात्र –छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करते रहना होगा, यदि उनका प्रदर्शन नीचे जाता है तो सुधार लाने के लिए अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा ।

(iii) योजना में शिक्षण शुल्क, पाठ्य पुस्तकों पर व्यय, छात्रावास व्यय तथा वर्ष में एक बार घर आने–जाने हेतु यात्रा व्यय दिया जाएगा, तथा सहायता की अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी–

- कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं के विद्यार्थियों को 12,000 रूपये अधिकतम
- कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को 15,000 रूपये अधिकतम
- गैर तकनीकी स्नातक विद्यार्थियों को 20,000 रूपये अधिकतम
- व्यावसायिक कोर्स के विद्यार्थियों को 50,000 रूपये अधिकतम

लाभांवित हितग्राहियों की वर्षवार संख्या तालिका क्रमांक 1.55 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.55

योजना अंतर्गत प्रदाय छात्रवृत्ति

शैक्षणिक सत्र	लाभांवित छात्र/छात्राओं की संख्या			योग	स्वीकृत राशि (लाख रू.में)
	स्कूल शिक्षा	उच्च शिक्षा स्नातक	तकनीकी शिक्षा स्नातक		
2010-11	842	196	23	1061	46.85
2011-12	643	104	42	789	35.28
2012-13	637	114	66	817	50.21
2013-14	527	96	91	714	56.78
2014-15	582	85	81	748	61.70
2015-16	680	100	94	874	82.24
योग	**3911**	**695**	**397**	**5003**	**333.06**

1.6.5 प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संविधान के 73 वें संशोधन के फलस्वरूप लघु वनोपज का स्वामित्व ग्राम सभाओं को सौंपा गया है। प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से ग्रामीणों को उचित लाभ दिलाने के लिए अनेक नीतिगत निर्णय लिये गये हैं। लघु वनोपज के अंतर्गत तेन्दूपत्ता के व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी वनोपज समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस व्यवस्था को लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है।

वर्तमान में शुद्ध आय का 70 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नगद भुगतान करने का प्रावधान है। शेष 30 प्रतिशत में से 15 प्रतिशत भाग वनों के पुनरोत्पादन पर लगाया जा रहा है तथा 15 प्रतिशत की अवशेष राशि सहकारी समितियों को उनकी प्राथमिकता के आधार पर उनकी माँग अनुसार ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विकास में दी जा रही है।

इस व्यवस्था के अंतर्गत विगत तीन वर्षों की प्रोत्साहन पारिश्रमिक की राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.56 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.56

वितरित प्रोत्साहन पारिश्रमिक

संग्रहण वर्ष	प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि रू. करोड़ में
2013	93.14
2014	58.40
2015	71.317
कुल योग	**222.857**

1.6.6 अन्य योजनाएँ

(i) लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी–पार्क) बरखेड़ा पठानी

- **केन्द्र की गतिविधियाँ**

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की प्रसंस्करण इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क), वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा **"विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड"** के अंतर्गत आयुर्वेदिक एवं हर्बल औषधियों का उत्पादन कार्य विगत 10 वर्षों से अधिक समय से किया जा रहा है । इस केन्द्र द्वारा उत्पादित उत्पादों की आपूर्ति देश के विभिन्न राज्यों के आयुष विभागों को की जाती है, तथा प्रदेश में स्थापित संजीवनी केन्द्रों एवं वितरकों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है ।

गुणवत्ता मानक अनुसार ISO एवं GMP प्रमाण पत्र, पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु EMS-14001 प्रमाणित है । म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ को भारत सरकार के आयुष विभाग द्वारा देश की 8 सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं में अधिसूचित किया गया है ।

- **प्रसंस्कृत औषधियों का वर्गीकरण**

वर्तमान में इस केन्द्र की उत्पादन क्षमता 350 प्रकार की विभिन्न क्लासिकल शास्त्रोक्त–265 प्रोपराइटरी एवं पेटेन्टेड–76 एवं विटनरी–09 प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों के प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। औषधियों के निर्माण हेतु प्रदेश के वन क्षेत्रों में उपलब्ध वनौषधियों/लघु वनोपजों का क्रय प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता से किया जाता है। लघु वनोपज क्रय के माध्यम से वनवासी संग्राहकों तक उचित मूल्य पहुंचाने का कार्य प्रमुखता से किया जाता है ।

- **विभिन्न राज्यों को औषधीय आपूर्ति**

मध्यप्रदेश आयुष विभाग के अलावा आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पांडुचेरी, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, असम, अरूणाचल प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर एवं अंडमान एवं निकोबार (18) राज्यों को शासकीय आपूर्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में स्थापित 28 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों एवं विभिन्न जिलों के खुदरा वितरकों, दिल्ली हाट जनकपुरी के माध्यम से खुदरा विपणन का कार्य किया जाता है ।

- **राजस्व प्राप्तियां**

बाजार प्रतिस्पर्धा के बाद भी उत्पादन कार्यों एवं राजस्व प्राप्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । संस्था के कुशल संचालन एवं प्रबंधन तथा संघ मुख्यालय के अनुश्रवण का ही परिणाम है कि संस्था लाभप्रद स्थिति में बनी हुई है । यह केन्द्र शासकीय सीमाओं में रहकर आज अन्य शासकीय औषधि निर्माणकर्ता संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है। विगत 4 वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों एवं शुद्ध आय का विवरण तालिका क्रमांक 1.57 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.57

प्राप्त राजस्व एवं शुद्ध आय का विवरण

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राजस्व (राशि करोड़ रू. में)	शुद्ध आय का प्रतिशत
2012-13	24.58	18
2013-14	10.86	13.50
2014-15	11.31	12.30
2015-16	18.41	17
2016-17	19.74	(नवंबर 2016 तक)

(ii) संजीवनी केन्द्र की स्थापना

औषधीय पौधों के विपणन के लिये भोपाल, बालाघाट, पूर्व छिन्दवाड़ा, पश्चिम छिन्दवाड़ा, देवास, शिवपुरी, औबेदुल्लागंज, कटनी, सिवनी, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, रेहटी (सीहोर), होशंगाबाद, नरसिंहपुर, सतना, बरखेडा पठानी (भोपाल), मैहर, इन्दौर, पन्ना, ग्वालियर, अमरकंटक, कपिलधारा, छतरपुर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा इत्यादि में ''संजीवनी आयुर्वेद'' के नाम से 27 विक्रय केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं । इन विक्रय केन्द्रों के माध्यम से अर्द्ध तथा पूर्ण प्रसंस्कृत लघुवनोपजों तथा औषधीय उत्पाद आम जनता को विक्रय किया जाता है। विपणन किये जा रहे उत्पादों में आंवला मुरब्बा, अर्जुन चाय, शहद, गोंद, बेल, गुड़मार एवं त्रिफला चूर्ण आदि प्रमुख हैं । आवश्यकता एवं उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जावेगा ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग एवं मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है :-

- म.प्र. राज्य में प्रचुर मात्रा में पाये जाने वाले लघु वनोपजों के संबंध में समस्त को अवगत कराना ।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के संग्राहकों/उत्पादकों को कच्चे माल एवं उत्पादों का बाजार में महत्व से अवगत कराना ।
- संग्राहकों, व्यापारियों, निर्यातकों को बाजार से जोड़ना एवं वनोपजों एवं औषधीय पौधों की गुणवत्ता की जानकारी हासिल कराना।
- लघु वनोपजों एवं औषधीय पौधों के साझेदारों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना ।
- हर्बल क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान एवं अन्य परिकल्पनात्मक गतिविधियों एवं अद्यतन जानकारी से संबंधितों को समय समय पर उपलब्ध कराना ।

इस मेले का आयोजन एक वृहद् प्रकार का है जिसमें न केवल म. प्र. स्तर के लघु वनोपजों से जुड़े सहभागी भाग लेते हैं बल्कि अन्य प्रदेशों एवं अन्य देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं । संबंधित सभी सहभागियों का मेले में आना एवं उन्हें समस्त आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना एक चुनौती भरा कार्य है जिस हेतु एक पूर्व निर्धारित समय सारिणी को योजनाबद्ध प्रक्रिया से लागू करना आव यक होता है ।

इस तरह के मेलों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर 2001 से किया जाता रहा है लेकिन अंतराष्ट्रीय प्रतिभागीयों के आने एवं इस मेले के प्रति उनके उत्साह को देखकर वर्ष 2011 से अंतराष्ट्रीय वन मेले का स्वरूप दिया गया। हर वर्ष की भांति वर्ष 2016 में भी (20 से 24 दिसंबर) अंतराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया गया ।

इस मेले में लघु वनोपज संग्राहको, व्यापारियों को उनके उत्पादों को एक सुलभ बाजार उपलब्ध कराने हेतु लाल परेड ग्राउड में विभिन्न पंडालों में लगभग 216 स्टॉल निर्मित कर उपलब्ध कराये गये, परंपरागत ज्ञान एवं उपचारकों तथा अनुभवि वैद्ययों को सुलभ मंच उपलब्ध कराने हेतु इस मेले में नि ुल्क सेवा अंतर्गत 34 स्टॉल लगाये गये जहां आगंतुकों ने अपने बीमारियों से संबंधित वैद्यों एवं जानकारों से निशुल्क परामर्श का लाभ उठाया गया।

लघु वनोपजों के संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं को एक मंच उपलब्ध करवाने हेतु क्रेता–विक्रेता सम्मेलन का आयोजन 23 दिसंबर को किया गया जिसमें लगभग 94 लाख रूपए का अनुबंध किया गया है ।

लघु वनोपजों के संवहनीय विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य संर्वधन तथा बाजार प्रबंधन से अवगत कराने हेतु संग्राहकों, कृषकों, व्यापारियों, निर्माताओं के लिए दो अर्धदिवसीय (21–22 दिसंबर) कार्य ााला का आयोजन किया गया । जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के संगठनों के प्रतिनिधियों एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा अपनी–अपनी प्रस्तुतिया दी गई । इसमें लगभग 120 प्रतिभगियों ने भाग लिया।

(iv) संचित ऋण निधि से 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर राशि का प्रदाय

- **लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जिला यूनियनों को ऋण उपलब्ध कराना**

संचालक मण्डल की 87 वीं बैठक दिनांक 29.06.2010 में निर्णय के अनुपालन में प्रदेश में लघु वनोपजों तथा औषधीय पौधों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं उनके व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न जिला यूनियनों को संघ मुख्यालय से ऋण निधि से कम दर के ब्याज (4 प्रतिशत) पर अब तक रूपये 614.94 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है ।

- **प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साईकिल क्रय हेतु ऋण प्रदाय करना**

दिनांक 16.08.2010 को संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को मोटर साईकिल क्रय हेतु ऋण देने का प्रावधान प्रचलित है।

(v) लाभांश की राशि से कराए जाने वाले कार्य

- **वन विकास एवं अद्योसंरचना विकास कार्य**

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त लाभांश की राशि से अंतःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण के अर्न्तगत वर्ष 2012–13 से अब तक विभिन्न जिला यूनियनों को ग्रामों की अद्योसरंचना विकास एवं वन विकास के कार्यो हेतु स्वीकृत राशि का विवरण तालिका क्रमांक 1.58 एवं 1.59 में दर्शित हैं।

तालिका क्रमांक 1.58
वन विकास कार्य

कमांक	वर्ष	क्षेत्र हेक्टेयर में	व्यय राशि रूपए लाख में
1	2012-13	531.92	203.94
2	2013-14	230.00	338.27
3	2014-15	935 बाह्य स्थलीय 1184 अंतः स्थलीय	737.89 301.61
4	2015-16	285 बाह्य स्थलीय 540 अंतः स्थलीय	117.30 123.80
5	2016-17	100 अंतः स्थलीय	28.00
	योग	1981.92 बाह्य स्थलीय 1824.00 अंतः स्थलीय	1397.40 बाह्य स्थलीय 453.41 अंतः स्थलीय

तालिका क्रमांक 1.59
अद्योसंरचना विकास कार्य

कमांक	वर्ष	कार्य	राशि (रू. लाख में)
1	2014-15	रोड, रपटा, स्टॉप डेम, पुलिया, पेयजल व्यवस्था, सामुदायिक भवन, बाउन्ड्री वाल निर्माण, विद्युतीकरण एवं आवास व्यवस्था	1518.14
2	2015-16	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	579.18
3	2016-17	रोड, रपटा, पुलिया, बाउन्ड्री वाल निर्माण, स्टॉप डेम, पेयजल व्यवस्था एवं सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	1780.51
		योग	**3877.83**

(vi) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली की सहायता से सचांलित परियोजनाएँ :-

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली की सहायता से सचांलित विभिन्न परियोजनाओं का विवरण तालिका क्रमांक 1.60 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.60
योजना का विवरण

कं	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य	लागत (लाख में)	व्यय (लाख में)
1	हर्बल उद्यान की संकल्पना एवं स्थापना	20.00 हे.	44.00	44.00
2	नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में ग्रामीण समुदायों की आजिविका	360 हे.	162.55	162.55
3	मध्य प्रदेश के वनक्षेत्रों में औषधीय पौधों का अन्तःस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण	4750 हे.	959.57	383.96
4	संयुक्त वन प्रबंध समितियों को प्रसंस्करण, गोदामीकरण विपणन एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता	20 लघु वनोपजों प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना	580.00	223.60

(vii) बुन्देलखण्ड योजना अंतर्गत प्रसंस्करण केन्द्र हेतु स्वीकृत योजना

बुन्देलखण्ड योजना के अंतर्गत माह सितम्बर 2013 में रूपये 6.67 करोड़ की योजना प्रदेश के सागर पन्ना, टीकमगढ़ ,दतिया, छत्तरपुर एवं दमोह के लिये स्वीकृत की गई है। उक्त योजना वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक की अवधि में संचालित होगी। योजना के अंतर्गत गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण संयंत्र एवं प्रशिक्षण दिया जावेगा। उक्त योजना में संघ को रूपये 5.00 करोड़ प्राप्त हुए हैं। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दतिया, छत्तरपुर एवं दमोह जिला के 23 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण, प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु रूपये 230.00 लाख प्रदाय किये गये हैं। गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा संयत्र स्थापित किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है । लघु वनोपज के विनाश विहीन विदोहन एवं प्रसंस्करण के विषय पर 148 प्रशिक्षण प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति एवं संयुक्त वन प्रबंध समिति के सदस्यों को सैडमेप (उद्यमिता विकास केन्द्र) के द्वारा जून-2014 से प्रारंभ किया गया है एवं इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया गया है ।

(viii) भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय से अनुदान

भारतीय जनजाति कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से ग्रांट-इन-एड के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में लघु वनोपज के कियान्वयन हेतु रूपये 350.00 लाख प्राप्त हुए थे। उक्त योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता के महुआ फूल के संग्रहण के अंतर्गत 3000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने, कुल्लू गोंद संग्रहण हेतु 1800 ग्रामीणों को प्रशिक्षण देने, जिला यूनियन पश्चिम सीधी में बहुउद्देशीय संग्रहण एवं प्रसंस्करण केन्द्र का निर्माण, एम.एफ.पी.पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में स्थित प्रसंस्करण केन्द्र की सुविधाओं का उन्नयन, शहद उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, जिला यूनियन देवास/खण्डवा में नागर मोथा संयंत्र का विकास, जिला यूनियन खरगोन में

नीम तेलधानी की स्थापना एवं जिला यूनियन पश्चिम सीधी, सतना, उत्तर सिवनी, एवं दक्षिण सिवनी में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की स्थापना इत्यादि गतिविधियां क्रियान्वयन में हैं। उपरोक्त योजना के अंतर्गत उपरोक्त कार्यों में वर्ष 2015–16 तक रू. 276.95 लाख व्यय हुआ।

1.7 राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव, वन्यप्राणी तथा कृषि वानिकी आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है। संस्थान के संचालक मंडल में 15 सदस्य हैं। संस्थान में संचालक का पद प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के स्तर का है।

मुख्य गतिविधियाँ

संस्थान की अनुसंधान गतिविधियाँ वन विभाग के क्षेत्रीय स्तर पर वन प्रबंधन सहयोग प्रदान करने हेतु विभिन्न विषयों पर केन्द्रित रही है। इनमें से कुछ प्रमुख विषय निम्नानुसार हैः–

- मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी तथा उनके रहवास की सतत् प्रबंधन एवं विकास हेतु निगरानी एवं अनुश्रवण।
- उन्नत पौध उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के बीज एवं नर्सरी तकनीकों का मानकीकरण।
- जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से संकटापन्न औषधीय पौध प्रजातियों के bioactive compoundsको ज्ञात कर उनकी वृद्धि की तकनीकों का मानकीकरण।
- मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पुर्नवास किये गये पारधी जाति के बच्चों का पुर्नवास उपरांत वन्यप्राणी संरक्षण की दृष्टि से मूल्यांकन।
- *Gliricidia sepium* की कटिंग द्वारा रोपण तकनीक का विकास।
- विभिन्न वानिकी प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता वाले बीजों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एवं वितरण।
- मध्यप्रदेश वन विभाग अभिकरण द्वारा विभिन्न वन विकास अभिकरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 के वर्षा ऋतु में हुए वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण मूल्यांकन।
- मध्यप्रदेश खनिज संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में रेत खनन् क्लस्टर्स के अंतर्गत प्रस्तावित रेत खदानों का पर्यावरणीय मूल्यांकन एवं पर्यावरणीय प्रभाव प्रबंधन योजना का निर्माण।
- मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम – 2006 लागू होने के उपरांत अनुसूचित जनजाति तथा पारंपरिक वन निवासियों पर प्रभाव का आंकलन।
- मध्यप्रदेश के होशंगाबाद वनवृत्त में वन्यप्राणियों द्वारा फसलों को हानि पहुॅचाने तथा इसके प्रबंधन पर अध्ययन।
- मध्यप्रदेश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटन का पर्यावरण, पारिस्थितिकीय एवं सामाजिक आर्थिक पहलू पर प्रभाव का अध्ययन।
- मध्यप्रदेश में नमूना भू–खण्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटराईजेशन एवं डिजिटाईजेशन।

अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति

वर्ष के दौरान संस्थान में चल रहीं अनुसंधान परियोजनाओं में से 12 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया, 30 परियोजनाऐं एवं 15 नियमित गतिविधियां प्रचलित हैं तथा 15 नवीन परियोजनायें प्रारंभ की गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्थान द्वारा वानिकी अनुसंधान एवं प्रबंधन पर आधारित विभिन्न विषयों – अकाष्ठीय वनोपज, जैव प्रौद्योगिकी, वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों के वन तथा घास के मैदानों में अनचाहे घास तथा अन्य खरपतवार को समाप्त करने हेतु प्रबंधन योजना तथा विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीकों का म.प्र. वन विभाग के क्षेत्रीय अमले हेतु प्रशिक्षण सह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रकाशन तथा अन्य गतिविधियाँ

संस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिकाओं 'वानिकी संदे ा' तथा 'वन–धन' का प्रकाशन भी किया जाता है। समय–समय पर अनुसंधान द्वारा विकसित तकनीकों के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक, तकनीकी बुलेटिन, ब्रोशर एवं पेम्पलेट्स का प्रकाशन किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त सेवाएँ

संस्थान द्वारा विभिन्न अनुसंधान सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इनमें से मुख्यतः निम्नानुसार हैः–

- कृषकों, उद्यमियों, छात्रों एवं वन विभागीय अमलें को औषधीय पौधों की कृषि तकनीक, उनके प्राथमिक प्रसंस्करण (Primary processing) भंडारण, ऊतक संवर्धन (Tissue culture), बीज तकनीक, वृक्ष सुधार, मृदा परीक्षण, हरबेरियम एवं रोपणी विकसित करने संबंधी प्रशिक्षण।
- वृक्षारोपण एवं कृषि तकनीक।
- अकाष्ठीय वनोपजों के बाजार की जानकारी का प्रचार–प्रसार।
- पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का निर्माण।
- वन संसाधन का आंकलन।
- उत्पादन एवं आयतन तालिका का निर्माण।
- जैवविविधता एवं वनस्पति का मूल्यांकन।
- वन्यजीव तथा काष्ठ के नमूनों का फोरेन्सिक अध्ययन।
- वन्यजीव प्रबंधन में अनुसंधान तकनीकों द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण हेतु तकनीकी जानकारी।
- विभिन्न कृषि वानिकी पद्धतियों का अध्ययन, सामाजिक आर्थिक विश्लेषण तथा विस्तार।
- बीज प्रमाणीकरण।
- मृदा विश्लेषण।
- उत्तम गुणवत्ता के बीजों एवं रोपण सामग्री का प्रदाय।
- तकनीकी मैन्युअल एवं प्रचार प्रसार हेतु पठन सामग्री इत्यादि तैयार करना।

वर्ष 2016–17 की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- संस्थान में नवीन वन्यप्राणी शाखा की स्थापना की गई। इस शाखा द्वारा प्रदेश में बाघों की आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हुए गणना तथा वन्यप्राणी प्रबंधन में अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

  बाघों की प्रथम चरण की गणना के अध्ययन में पायी गयी मुख्य विशेषताएँ–

  1. गहन सेम्पलिंग करने से बाघों की संख्या का ठीक–ठीक अनुमान किया गया है जो कि वास्तविक संख्या के निकट है।
  2. सभी बाघ अभ्यारण्य में शिकार एवं शिकरियों की अत्याधिक संख्या देखी गई है जो राज्य में वन्य जीव के जीवन की शक्ति जमावड़ा को दर्शाता है।
  3. वर्तमान निगरानी एवं उत्पन्न डेटाबेस के परिणामों से बाघ अभ्यारण्य के प्रबंधकों बाघो, सह–शिकारियों और शिकार प्रजातियों के स्थानीक वितरण को समझने के लिए सुविधा होगी।
  4. बाघों की कुल जनसंख्या में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिख रही है, हालाकि अध्ययन अवधि सीमित होने के कारण किसी भी निर्णायक निष्कर्ष के लिए अगले गणना तक अपेक्षा करनी होगी।

S. No.	Name of Protected Area	Tiger estimation, 2016 (By state Forest Research Institute, Jabalpur)	
		Unique Tiger Captured	Population Size (Range)
1	Bandhavgarh Tiger Reserve	61	61.4 (61-85)
2	Kanha Tiger Reserve	83	83.4(83-104)
3	Panna Tiger Reserve	21	23 (21-23)
4	Pench Tiger Reserve	50	53 (51-63)
5	Sanjay Tiger Reserve	06	6 (6-11)
6	Satpura Tiger Reserve	20	20 (20-27)
	Sub Total	241	247(242-313)
7	Kuno-palpur Wildlife Sanctuary	01	1(1-1)
8	Ratapani Wildlife Sanctuary	09	11.05 (9-17)
	TOTAL	251	259 (252-331)

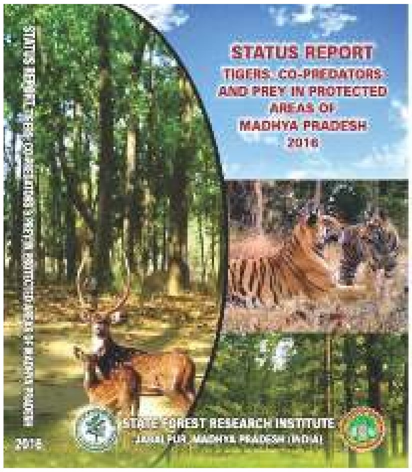

  5. सभी टाईगर रिर्जव के मामले में मानव उपस्थिति कोर के अंदर कम से कम दिखी।

- सागौन के उच्च गुणवत्ता के बीजों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं फफूंदनाशक दवा मिलाकर भण्डारित किया गया जिसे M.P. Teak Trademark के नाम से पंजीकृत किया जा चुका है तथा मांग अनुसार म.प्र. वन विभाग के विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों तथा वनमण्डलों में प्रदाय की जा रही है।

बीज एकत्रीकरण एवं प्रसंस्करण

बीज प्रमाणीकरण, भण्डारण एवं वितरण

- काष्ठ तथा वन्यजीव नमूनों के फारेंसिक अध्ययन।

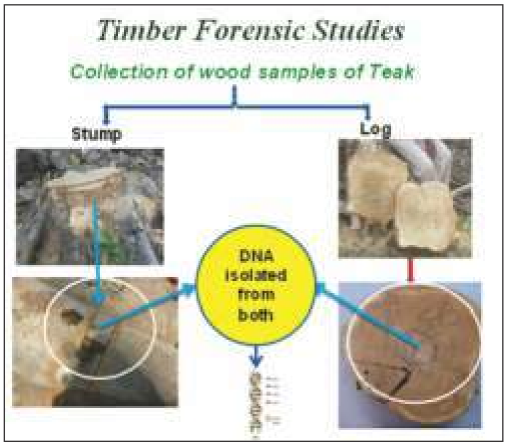

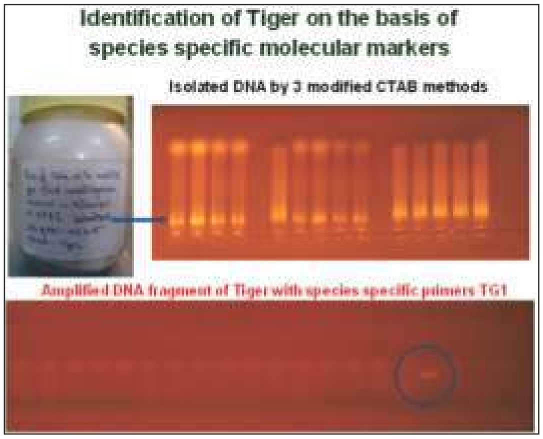

- संस्थान की सूखी वनस्पतियों का संग्रह (हरबेरियम) का डिजिटाईजेशन एवं साफ्टवेयर का निर्माण।
- संस्थान की नर्सरी में दुर्लभ, संकटापन्न एवं लुप्तप्राय: वन प्रजातियों का संरक्षण तथा पांच लाख पौधे तैयार कर वनमण्डलों में वितरण।

RET Species for Conservation

S. No.	Species	Botanical name
1	Salai	*Boswellia serrata*
2	Bija	*Pterocarpus marsupium*
3	Kullu	*Sterculia urens*
4	Achar	*Buchanania lanzan*
5	Katira	*Cochlospermum religiosum*
6	Patala	*Stereospermum chelonoides*
7	Maida Lakadi	*Litsea glutinosa*
8	Pilu	*Salvadora oleoides*
9	Sheonak	*Oroxylum indicum*
10	Varun	*Crataeva magna*
11	Harra	*Terminalia chebula*
12	Arjun	*Terminalia arjuna*
13	Aonla	*Phyllanthus emblica*

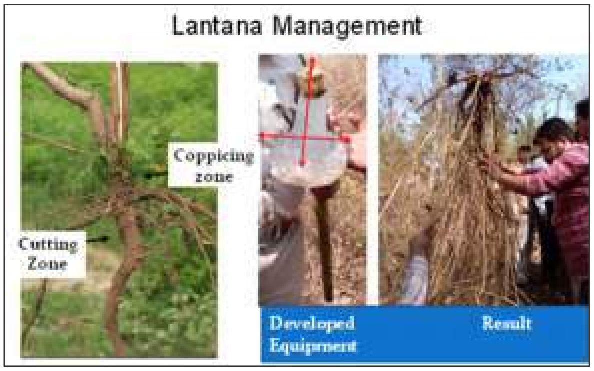

- Cut root stock विधि द्वारा लेंटाना का उन्मूलन पर क्षेत्रीय अमले का प्रशिक्षण।
- मृदा विश्लेषण तथा मृदा स्वास्थ्य पत्रक का प्रदाय।
- बांस के विभिन्न प्रजातियों के वंश–वृद्धि हेतु Micro-propagation Protocol का विकास।

- राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, म.प्र. शासन का पहला संस्थान है जिसे QCI/NABET, MoEF, भारत सरकार द्वारा खनन तथा नदी घाटी परियोजनाओं में मान्यता प्रदान की गई है।

1.8 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के गठन संबंधी राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई।

बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

बोर्ड का संचालक मण्डल

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय (राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 28.06.2012 अनुसार) सदस्यगण **परिशिष्ट– 18** अनुसार हैं।

बोर्ड का कोई अधीनस्थ कार्यालय नहीं है।

बोर्ड की गतिविधियां

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियों को निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत संचालित की जा रही है –

1. जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग
2. अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण
3. जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण
4. जैवसंसाधनों से उदभुत लाभ का प्रभाजन कार्यवाही
5. प्रशिक्षण एवं जागरुकता

वर्ष 2016–17 की महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ

जैव संसाधनों का संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग – बोर्ड द्वारा प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति के माध्यम से जैव संसाधनों का अंतः स्थलीय, बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं संवहनीय उपयोग हेतु कार्य संपादित किये जा रहे है। वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जा रही है –

अ. अंतः स्थलीय संरक्षण –

- कृषि विविधता – परम्परागत देशी अनाजों कठिया गेहूॅ लघु धान्य (कोदो, कुटकी, सांवा) अलसी एवं देशी सेम इत्यादि का संरक्षण सम्मिलित है।
- जलीय विविधता – बटागुर कछुआ (जो कि केवल चम्बल क्षेत्र में है) तथा महाशीर (मछली) का संरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

महाशीर का अंतःस्थलीय संरक्षण

- बोर्ड द्वारा 26 संकटापन्न प्रजातियां को अंतःस्थलीय संरक्षण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से 43 सरकारी एवं निजी संस्थाओं को रोपण सामग्री उपलब्ध कराये गये।

ब. बाह्य स्थलीय संरक्षण –

- गुग्गल, ऑल, चिरौंजी, कालमेघ, केवकंद, पाडर, सोमवल्ली (केवल रीवा जिले में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधीय पौधा), कुसुम के पेड़ों, कड़कनाथ मुर्गों, गाय की निमाड़ी एवं केनकथा नस्लों का संरक्षण कार्य किया जा रहा है। सिवनी एवं पिथौराबाद (जिला सतना) में देशी/स्थानीय किस्मों के बीज बैंक संचालित किये जा रहे हैं।

जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा पाडर पौधों का संरक्षण

अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण – बोर्ड द्वारा जैवविविधता के विभिन्न पहलूओं पर अनुसंधान, शोध एवं दस्तावेजीकरण संस्थाओं, महाविद्यालयों, गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 में कुल 43 परियोजना (लघु एवं वृहद) निम्नानुसार संचालित की जा रही है –

अ. अनुसंधान कार्य –

- कृषि एवं उद्यानिकी विविधता – धान, मक्का एवं लघु धान्यों (Minor Millets) की पारम्परिक किस्मों का एकत्रीकरण एवं संवर्धन सम्मिलित है।

- वानस्पतिक विविधता – कूनोपालपुर, सागर एवं सतना के परसमनिया पठार की वानस्पतिक विविधता का सर्वेक्षण, प्रदे ा की औषधीय वृक्ष प्रजातियों का सर्वेक्षण, भोपाल की वानस्पतिक विविधता का वर्चुअल हर्बेरियम सम्मिलित हैं।

भोपाल की वानस्पतिक विविधता का वर्चुअल हर्बेरियम

प्राणी विविधता – दुर्लभ, संकटग्रस्त प्रजातियों जैसे महाशीर, गिद्ध, कछुआ से संबंधित अध्ययन परियोजना सम्मिलित है।

ब. दस्तावेजीकरण –

- प्रदेश की तितलियों, घासों एवं वेटलेंड के पक्षियों का डिजिटल डाटबेस तैयार किया जा रहा है।
- लोक जैवविविधता पंजी – इस दस्तावेज में पंचायत में विद्यमान सभी जैव संसाधनों, स्थानीय संस्कृति, बाजार इत्यादि की जानकारी होती है, जो कि जैवविविधता प्रबंधन समिति एवं मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से बनाई जाती है। इसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा अद्यतन 890 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया है तथा 42 लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जैवविविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) का सक्रियकरण – मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के स्थानीय निकायों (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायत) में जैवविविधता प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का संचालित की जा रही है–

- बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक जैवविविधता प्रबंधन समितियों का पुनर्गठन, सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास करना है, बोर्ड में सीमित मानव संसाधन होने के कारण अभिनव प्रयोग करते हुये बोर्ड द्वारा 30 विषय विशेषज्ञों एवं प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से प्रदेश के जिलों में जैवविविधता प्रबंधन समितियों की क्षमता विकास एवं पुर्नगठन तथा जैवसंसाधनों का संरक्षण संबंधित कार्य किया जा रहा है।
- बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्दे य से 30 लघु परियोजनायें संचालित की जा रही हैं।
- जैवविविधता प्रबंधन समितियां, स्व सहायता समूह एवं ऐसी संस्थायें द्वारा जैव संसाधनों का उपयोग कर बनाये गये उत्पादों का भोपाल हाट में विक्रय हेतु बोर्ड द्वारा स्टॉल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

जैव संसाधनों से उद्‌भुत लाभ का प्रभाजन – जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के अन्तर्गत यह प्रावधानित है कि कोई भारतीय नागरिक अथवा भारत में पंजीकृत संस्था यदि कोई जैव संसाधन वाणिज्यिक उपयोग के लिये प्राप्त करना चाहता/चाहती है तो वह निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड को पूर्व सूचना देगा/देगी एवं बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही जैव संसाधनों का संग्रहण कर सकेगा/सकेगी। अधिनियम की धारा 41 (3) के अन्तर्गत यह उल्लेखित है कि जैवविविधता प्रबंधन समिति अपने क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये किसी जैव संसाधन की अभिप्राप्ति या संग्रहण के लिये किसी व्यक्ति अथवा संस्था से फीस ले सकेगी, जिस हेतु बोर्ड द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा।

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 2 (च) के अन्तर्गत वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत निम्न अंतिम उपयोग सम्मिलित हैः–

(1) औषधि (Drugs)	(2) औद्योगिक किण्वक (Industrial Enzymes)
(3) सुवास (Fragrances)	(4) खाद्य सुगंध (Food Flavors)
(5) प्रसाधन (Cosmetics)	(6) पायसीकारक (Emulsifiers)
(7) तैलराल (Oleo-resins)	(8) रंग (Colours)
(9) सत् (Extracts)	(10) फसल एवं पशुधन में अनुवांिाक यांत्रिकी हेतु जीन आदि।

मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 17 में जैव संसाधन की अभिप्राप्ति एवं संग्रहण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।

प्रशिक्षण एवं जागरुकता – जन मानस में जैवविविधता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से निम्नानुसार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है –

क्र.	कार्यक्रम	उद्‌देश्य	लाभान्वित वर्ग
अ. प्रशिक्षण एवं कार्यशाला			
1.	''जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन'' विषयक तीन दिवसीय प्रशिक्षण	दिनांक 6 से 8 जून 2016 को मैदानी वन अधिकारियों को जैवविविधता अधिनियम एवं नियम से अवगत कराने हेतु	39 – उप वनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी
2.	वानिकी जैवविविधता विषय पर जागरूकता कार्य ाला	दिनांक 19 अक्टूबर 2016 को वरिष्ठ वन अधिकारियों को वानिकी जैवविविधता से अवगत कराने हेतु	वरिष्ठ वन अधिकारियों (जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर मुख्य वन संरक्षक तक सम्मिलित)
3.	वृत्त स्तरीय जैव विविधता कार्यशाला	वन विभाग के मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जैवविविधता, जैवविविधता संबंधित अधिनियम एवं नियम से अवगत कराने हेतु	वन वृत्त के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।

उप वनमण्डलाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी हेतु आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागी

वानिकी जैवविविधता कार्यशाला में मंच पर आसीन वरिष्ठ अतिथि एवं कार्यशाला में सम्मिलित वरिष्ठ वन अधिकारी

ब. जागरूकता कार्यक्रम			
1.	अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस	22 मई को प्रदेश के सभी जिलों में जैवविविधता दिवस पर कार्यक्रम (गोष्ठी, सेमीनार, कार्य ाला) आयोजन हेतु सहायता।	प्रदेश के सभी जिलों में मनाया गया।
2.	मोगली उत्सव	स्कूली छात्र–छात्राओं में जैवविविधता जागरूकता हेतु।	मोगली उत्सव 2016 का आयोजन दिनांक 7, 8 एवं 9 अक्टूबर 2016 को पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी में किया गया।
3.	श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता	प्रदेश के सभी जिलों में श्रेष्ठ उद्यान का चयन एवं चयनितों को पुरस्कार।	प्रदेश के सभी 51 जिलों में जैवविविधता संरक्षण के प्रचार–प्रसार हेतु आयोजन किया गया।
4.	श्रेष्ठ फोटोग्राफी प्रतियोगिता	प्रदेश में श्रेष्ठ जैवविविधता विषयक फोटोग्राफी हेतु पुरस्कार।	प्रदेश में जैवविविधता संरक्षण के प्रचार–प्रसार हेतु

			आयोजन किया गया।
5.	जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम	स्कूल, महाविद्यालय, प्रशिक्षण संस्थाओं इत्यादि में जैवविविधता संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन।	लगभग 5000 छात्र– छात्राओं लाभान्वित हुये।
6.	रेडियो के माध्मय से कार्यक्रम	आम नागरिकों हेतु आकाशवाणी से ''चलती रहे जिंदगी'' एवं ''नीम की छांव'' कार्यक्रमों का प्रसारण।	प्रदेश के सभी जिलों में प्रसारण।
7.	प्रकाशन एवं लघु फिल्म	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जैवविविधता विषयक साहित्य, लघु फिल्म इत्यादि का प्रकाशन	छात्र–छात्राओं, बी.एम.सी. सदस्यों, मैदानी अमले हेतु प्रकाशन।
8.	मेले एवं प्रदर्शनी	जैवविविधता प्रदर्शनी	विभिन्न मेलों में लगभग 2 लाख लाभान्वित।

मोगली बाल उत्सव में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता मोगली मित्रों को पुरुस्कार वितरण

बजट प्रावधान

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को वित्त वर्ष 2016–17 में निम्नानुसार बजट अनुदान शासन द्वारा प्रावधानित किया गया हैः–

क्रमांक	बजट शीर्ष	प्रावधान राशि	प्राप्त राशि
1.	7672–जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण	72.00 लाख	72.00 लाख
2.	7856 – जैवविविधता बोर्ड से संबंधित व्यय	351.00 लाख	351.00 लाख
	योग	**423.00 लाख**	**423.00 लाख**

पुरूष्कार

1. श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता – बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्रेष्ठ जैवविविधता उद्यान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष प्रत्येक जिला स्तर पर किया गया है। विजेता को प्र ास्ति पत्र, ट्राफी एवं रूपये 5,000/– का नगद पुरूष्कार प्रदान किया जाता है।

2. श्रेष्ठ फोटोग्राफी प्रतियोगिता – बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता अंतर्गत राशि रूपये 25,000/– (प्रथम), 20,000/– (द्वितीय), 15,000/– (तृतीय) का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

3. मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन हर्बल मेला 2016 में आम नागरिकों को जैवविविधता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से लगायी गयी प्रदर्शनी को अयोजक द्वारा पुरस्कृत किया गया।

प्रकाशन

1. मध्यप्रदेश में पाई जाने वाली घासों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण
2. भोपाल के नमभूमि क्षेत्रों में पक्षियों की विविधता का दस्तावेजीकरण
3. मध्यप्रदेश के पक्षियों पर मोबाइल एप्प ''पंछी'
4. सतना क्षेत्र में उगाई जाने वाली धान की अगेती किस्मों (जल्दी पकने वाली) पर पुस्तिका
5. सामुदायिक बीज बैंक संधारण हेतु हस्त पुस्तिका
6. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 का वार्षिक कैलेण्डर ''जैवविविधता मानव जीवन का आधार'' विषयवस्तु पर तैयार किया गया है।

1.9 मध्य प्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड

मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड म.प्र.शासन के वन विभाग के अंतर्गत एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12.07.2005 को म.प्र.सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया था। बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य की वन नीति 2005 की कंडिका 3.16 ईकोपर्यटन नीति निर्देशों के अनुसार ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।

म.प्र.ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य शासन के बजट मद 5830 से अनुदान, राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से 10 प्रतिशत राशि, म.प्र.राज्य वन विकास निगम, म.प्र.राज्य लघुवनोपज संघ, कैम्पा एवं अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं।

वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.01.2017 तक विभिन्न स्त्रोतों से बोर्ड को निम्नानुसार वित्तीय संसाधन प्राप्त हुए हैं :–

अनु. क्रमांक	स्त्रोत	प्राप्त राशि (रू. लाख में)
1.	राज्य शासन से बजट मद 5830 से बोर्ड को अनुदान	829.00
2.	राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्यों की विकास निधि से प्राप्त राशि	253.00
3.	कैम्पा मद	267.00
4.	अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि	15.00
	योग :–	**1364.00**

3. बोर्ड की प्रमुख गतिविधियॉ निम्नानुसार हैं :–
   अ. ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास
   ब. टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकास
   स. जागरूकता कार्यक्रम
   द. क्षमता विकास

अ. **ईकोपर्यटन गंतव्य स्थल का विकास** : म.प्र.राज्य द्वारा ईकोपर्यटन गंतव्य स्थलों के विकास हेतु अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा म.प्र.वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य आरक्षित वनों में ईकोपर्यटन की संभावनाओं वाले वन क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें मनोरंजन क्षेत्र/वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाना है, ताकि क्रमबद्ध रूप से इन क्षेत्रों में ईकोपर्यटन की आधारभूत संरचनायें विकसित की जा सकें। उक्त नियमों की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त अभी तक 78 क्षेत्रों की पहचान की जा चुकी है जिनमें से 42 क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्र के रूप में तथा 8 क्षेत्र वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भी किये जा चुके हैं। उक्त अधिसूचित क्षेत्रों में से 14 क्षेत्रों हेतु ईकोपर्यटन विकास की योजना भी स्वीकृत की जा चुकी है।

ब. **टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ईकोपर्यटन विकास** : म.प्र.राज्य के टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिये आकर्षण का केन्द्र हैं। राज्य के सभी 6 टाइगर रिजर्व में बफर क्षेत्र अधिसूचित किये जा चुके हैं। टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में पर्यटन के दबाव को कम करने की दृष्टि से इनके बफर क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन गतिविधि प्रारम्भ की गई है। पर्यटक बफर क्षेत्र में प्राकृतिक स्थलों, वन तथा वन्यप्राणी दर्शन एवं व्याख्या के साथ–साथ विभिन्न ईकोपर्यटन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। बफर क्षेत्रों में ईकोपर्यटन विकसित होने से पर्यटकों को सफारी भ्रमण, ट्रेकिंग, वन दर्शन, पक्षी दर्शन, कैम्पिंग आदि के अद्वितीय अवसर प्राप्त हो सकेंगे। वर्ष 2015 से अब तक लगभग 70,000 से अधिक पर्यटकों के द्वारा बाधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच एवं पन्ना टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में भ्रमण किया गया है।

स. **जागरूकता कार्यक्रम** : वन, वन्यप्राणी एवं पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता दर्शाने एवं इस संदेश के समाज में प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। जन सामान्य में वन एवं वन्यप्राणी तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता विकसित करने के संदेश के प्रसार हेतु स्कूली विद्यार्थी

प्रभावशाली संवाहक हैं। इसे ध्यान में रखते हुये वन विभाग द्वारा म.प्र. ईकोपर्यटन विकास बोर्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष ''अनुभूति कार्यक्रम'' आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 से 11वीं तक के स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति का व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराने हेतु एक दिवसीय कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैम्प मे ंविद्यार्थियों को स्थानीय प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों में वन भ्रमण, नेचर ट्रेल भ्रमण एवं अन्य गतिविधियॉं आयोजित कर पारिस्थितिकी के घटकों की व्याख्या, पर्यावरण सरंक्षण, जैव विविधिता, पक्षी दर्शन, वन औषधी एवं वन प्रबंधन की सामान्य जानकारी एवं अनुभव प्रदान किया जा रहा है।

कार्यक्रम पूर्व में जिला स्तर पर आयोजित किया जाता था। कार्यक्रम की उपयोगिता को देखते हुये, इस वर्ष इस कार्यक्रम को वृहद रूप देते हुये जिला स्तर के स्थान पर परिक्षेत्र स्तर पर आयोजित किया गया , जिससे जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों के ज्यादातर शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा पाये। यह कार्यक्रम प्रदेश में 15 दिसम्बर 2016 से 15 जनवरी 2017 की अवधि में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के 393 परिक्षेत्रों के 53,000 से भी अधिक स्कूली विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

द. क्षमता विकास : ईकोपर्यटन गतिविधियों का मूल उद्देश्य ईकोपर्यटन से स्थानीय समुदाय की आजीविका के अवसर विकसित करना भी है, जिसे ध्यान में रखते हुये स्थानीय नागरिकों को गाईड प्रशिक्षण, नाविक प्रशिक्षण, खानसामा प्रशिक्षण, कैम्प प्रबंधन प्रशिक्षण आदि के अंतर्गत अब तक लगभग 600 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्ष 2016–17 में 270 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

1.10 मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

बांस की उपयोगिता को देखते हुये राज्य बांस मिशन का गठन एक समिति के रूप में म.प्र. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत दिनांक 15.07.2013 को मुख्य रूप से राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि मंत्रालय, केन्द्र शासन के योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु किया गया। बांस उत्पादन, बांस आधारित उत्पादों के निर्माण तथा इस क्षेत्र में उच्च तकनीकि मशीनीकृत कार्यशैली के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास कार्य हेतु राज्य स्तरीय भावी योजना तथा वार्षिक योजना को तैयार करना, योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन प्राधिकरण, राज्य शासन तथा अन्य स्त्रोंतो से राशि प्राप्त करना तथा अधिनस्थ संस्थाओं/कार्यालयों को राशि जारी कर योजना को क्रियान्वित कराना मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। मिशन की भूमिका बांस सेक्टर के विकास के लिये पर्यवेक्षण एवं निगरानी (Supervision and Monitoring) की है। अतः मिशन की कोई शाखा नही है। कार्य वन विभाग के मैदानी अमले द्वारा ही किया जाता है। बांस प्रबंधन से संबंधित कार्य वन विभाग द्वारा भी किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव, वन विभाग हैं। समिति मे सदस्य सचिव सहित वन विभाग के 7 अधिकारी व मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की प्रबंध संचालक है। समिति के सदस्य सचिव ही मिशन के निदेशक हैं। वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव हैं। नामांकित सदस्यो के अतिरिक्त वि ोश अतिथि सदस्यों का भी प्रावधान किया गया है। मिशन की साधारण सभा के अध्यक्ष माननीय वनमंत्री हैं।

योजनाएँ :–

राज्य बांस मिशन को एक ही योजना क्रमांक 7458 राज्य बांस मि ान 42 सहायक अनुदान 007 अन्य से अनुदान प्राप्त होता है। इस योजना के अंतर्गत स्थापना व कार्यालयीन व्यय भी है। इस योजनान्तर्गत मिशन द्वारा बांस केन्द्रो के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। बांस शिल्पकारों के कौशल उन्नयन के लिये रूपांकन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। शिल्पियों को अध्ययन प्रवास पर भेजा जाता है। प्रदर्शनियों मे भागीदारी द्वारा शिल्पियों को बाजार से सीधे जोड़ा जा रहा है। प्रदे ा के बाहर से बांस की विभिन्न प्रजातियों के टिशु कल्चर का कार्य प्रगति पर है। कृषकों की आय बढ़ाने के लिये फील्ड ट्रायल के बाद सफल प्रजातियों का पौध रोपण कृषि भूमि पर करवाया जाना लक्षित है। इस प्रकार मिशन बांस सेक्टर के विकास के द्वारा रोजगार के नये अवसर सृजित करने व कृषको/शिल्पियो की आय बढ़ाने के लिये प्रयासरत् है।

- वर्ष 2016–17 में राज्य बांस मिशन ने मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान, अहमदाबाद; इन्स्टीट्यूट वुड साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बैंगलोर के साथ शिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिये एक करारनामा (MoU) किया है।
- प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में बने रहने के लिये यह आवश्यक है कि कच्चे माल का पूरा उपयोग किया जायें। बांस शिल्प/फर्नीचर बनाने में उत्पन्न अपशिष्ट (Waste) के उपयोग के लिये मि ान ने TERI (The Energy and Resources Institute), दिल्ली के आर्थिक व तकनीकी सहयोग से सनौरा, सतना में इस वर्ष एक गैसीफायर की स्थापना की है, जिसमें कचरे के उपयोग द्वारा बिजली बनायी जा रही है।

- वर्ष 2017–18 में मिशन द्वारा प्रदेश में बांस शिल्प की ऐसी प्रजातियों का फील्ड ट्रायल व सफल फील्ड ट्रायल वाली प्रजातियों का रोपण करवाया जावेगा जो वर्तमान में प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। इस रोपण से पैदा होने वाले बांसों से बने उत्पादो की लागत कम होगी व गुणव ाा बेहतर होगी। बांस उत्पादो का विक्रय बड़ने से बांस शिल्पियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि अनुमानित है व रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे।
- म.प्र. राज्य बांस मिशन का प्रयास है कि कुल हितग्राहियों में से कम से कम 30 प्रतिशत हितग्राही महिलाएँ हों।

वित्तीय उपलब्धियाँ :–

तीन वर्षो की तुलनात्मक वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(राशि रू.लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय दिसम्बर 2016 तक
1	योजना क्रमांक 7458 राज्य बांस मिशन 42 सहायक अनुदान 007 अन्य	976.84	976.84	1559.75	1559.75	875.00	875.00
	योग–	976.84	976.84	1559.75	1559.75	875.00	875.00

राज्य बांस मिशन बांस के पौध रोपण में नयी प्रजातियों का पौध रोपण करवाने के लिये प्रयासरत् है। नयी प्रजातियाँ आने से बांस उत्पादो की गुणवत्ता मे सुधार होगा, नयी वेरायटी आयेगी व उत्पादन लागत में कमी आवेगी। कृषि क्षेत्रो में नयी प्रजातियों का पौध रोपण होने पर किसानो की आय में वृद्धि होगी व नये उत्पाद बनने पर शिल्पियों की आय में भी वृद्धि होगी।

——————